न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 234/2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

1.अजीतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह 2.इन्द्रजीतसिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी 7 के.एस.डी. मालारामपुरा 3.महिमासिंह पुत्र शेरलखवीरसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

––वादीगण––

बनाम

1.बुटासिंह पुत्र गुरनामसिंह 2.नसीबकौर पत्नी बुटासिंह जाति जटसिख सा0 ढोलनगर हाल ढाणी 7 के.एस.डी. मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 3.मनप्रीतकौर पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी 7 के.एस.डी. मालारामपुरा 4.जसविन्द्रसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी 7 के.एस.डी. मालारामपुरा 5.शेरलखवीरसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तह0 संगरिया 6.छिन्द्रपालकौर पुत्री शेरलखवीरसिंह पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख साकिन 1 एल.पी.एम रायसिंहनगर हाल आबाद संगरिया तहसील संगरिया 7.तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण

2–मंवरलाल स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 से 6

निर्णय

दिनांक 5.6.2024

यह पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अनतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। दावा की सही स्थिति समझने के लिये वादीगण ने अपने दावा में अपने परिवार की संक्षिप्त वंशावली अंकित की है। वादीगण के दादा–दादी, पिता व माता अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 80/67 में बुटासिंह के नमा से कुल 3.631 है0 व खाता संख्या 55/52 में नसीबकौर के नाम कुल 0.253 है0 व खाता संख्या 147/135 में कुल 0.759 है0 तथा चक नम्बर 2 के.एस.डी. खाता सं. 2/114 में कुल 2.530 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि के अलावा भी कृषि भूमि जो वादीगण के पिता एवं दादा के नाम है। उक्त भूमि की नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। (क) चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 80/67 प0न0 149/116 (26) कि.न. 23,24,25 सम्वत् 2073–2076 योग खाता 3.631 है0 (ख) चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 55/52 प0न0 149/116 (26) किला नंबर 19 सम्वत् 2073–2076 योग खाता 0.253 है0 (ग) चक नं. 7 के. एस.डी. खाता सं. 147/35 प0न0 149/118 (19) कि.न. 7/2, 8,9,12/1 [illegible]–2076 योग खाता 0.759 है0 (घ) चक नं. 2 के.एस.डी. खाता सं. 2/114 प0न0 [illegible]) कि. न. 9से12,18से23 सम्वत् 2071–2074 योग खाता 2.530 है0 भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के व्यक्ति है। प्रश्नगत् भूमि विरास्तन एवं जद्दी जायदाद है, तथा कुछ जद्दी जायदाद की आय से खरीद होने से विरास्तन है। वादीगण का उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

शैष पृष्ठ 2 पर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

विरासतन जद्दी जायदाद में जन्मजात हिस्सा व हक बनता है जिसे हम वादीगण जरिए घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रश्नगत उक्त समस्त भूमि का घरू विभाजन एवं समझोता हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 80/67 में कुल 3.631 है0 व खाता सं. 55/52 में 0.253 है0 तथा चक नम्बर 2 के.एस.डी. खाता सं. 2/114 में कुल 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.414 है0 भूमि वादीगण संख्या 1—अजीतसिंह 2—इन्द्रजीतसिंह को बहिब0 प्राप्त हो चुकी है तथा चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 147/35 में 0.759 है0 भूमि वादी संख्या 3—महिमासिंह को प्राप्त हो चुकी है उक्त भूमि में प्रति0 संख्या 1 से 6 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहते उन्होने अपने—अपने हिस्सा की उक्त भूमि वादीगण को छोड़ दी है। अब वादीगण अपने जन्मजात हिस्सा व घरू विभाजन में मिली उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है वे प्रतिवादीगण का उक्त चकुकों के उक्त खातों से नाम कलमजन करवा अपना नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराने के दावेदार है इसी अमर की घोषणात्मक डिकरी पाने के हम वादीगण अधिकारी एवं दावेदार है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 5 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से हम वादीगण बैंक लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है, इससे हम वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्नगत उक्त भूमि पर हम वादीगण की ही कब्जा काश्त है। जिसे प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे वादीगण को दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित कुल भूमि का जन्मजात एवं दावा के पहरा संख्या 5 में वर्णित अनुसार वादीगण को दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख निश्चित की गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वंय हाजिर आकर एवं जरिये वकील इकबालदावे पेश किये तथा स्टेट की ओर से राज पेरोकार ने अपना जबाब पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में इकबालदावे आने से कोई विरोध नहीं रहा इसलिये तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण संख्या 1 व 3 ने प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दीयों को पुर्दश हेतु साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पैश किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई। बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा वकील प्रतिवादी ने कोई एतराज नहीं किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भूमि वादीगण के दादा पिता व माता के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण का [illegible] है और प्रतिवादीगण ने दावे को स्वीकार कर लिया है अतः वादीगण का वाद [illegible] किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है मुताबिक अनुतोष के ख अनुसार वादीगण अपने

शैष पृष्ठ 3 पर

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जन्मजात व घरू विभाजन अनुसार चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 80/67 में कुल 3.631 है0 व खाता सं. 55/52 में 0.253 है0 तथा चक नम्बर 2 के.एस.डी. खाता संख्या 2/114 में कुल 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.414 है0 भूमि के वादीगण संख्या 1–अजीतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह 2–इन्द्रजीतसिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह को बहिब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उक्त खातो से बुटासिंह, नसीबकौर, मनप्रीतकौर का नाम कलजन करे तथा वादी संख्या 1 अजीतसिंह का हिस्सा कम कर दौनो वादीगण को बहिब0 खातेदार के रूप में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार चक नं. 7 के.एस.डी. खाता सं. 147/35 में कुल 0.759 है0 भूमि का वादी संख्या 3–महिमासिंह पुत्र शेरलखवीरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से शेरलखवीरसिंह का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 को खातेदार के रूप में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 5.6.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested